


लग० ५४५४/२०१८/सिंगरौली/झज्ज०

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर,
सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)



- 1— बोधेराम प्रजापति तनय स्व० राम मनोरथ प्रजापति
- 2— पन्नालाल प्रजापति तनय स्व० राम मनोरथ प्रजापति
- 3— बच्चूलाल प्रजापति तनय स्व० राम मनोरथ प्रजापति
तीनों निवासी ग्राम बाघडीह, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली
(म०प्र०)

— निगरानीकर्तागण / आवेदकगण
बनाम

- 1— विश्वकांती बियार तनय श्री राजबली बियार, निवासी ग्राम बाघडीह,
तहसील देवसर, जिला सिंगरौली (म०प्र०)
- 2— मध्यप्रदेश शासन

— गैरनिगरानीकर्तागण / अनावेदकगण
निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय राजस्व
निरीक्षक, रा०नि० मंडल बरिगांव, तहसील
देवसर, जिला सिंगरौली (म०प्र०) के
राजस्व प्रकरण क्र०-१४४/अ-१२/
२०१५-१६ में पारित पुष्टीकरण सीमांकन
आदेश दिनांक ३०/०६/२०१७

विश्वकांती विरुद्ध शासन म०प्र०
निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा ५० म०प्र०
भू-राजस्व संहिता १९५९ ई०

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षित तथ्य

यह कि प्रकरण में गैरनिगरानीकर्ता क्र०-१ विश्वकांती बियार के
अनुसार कि उसके द्वारा भूमि खसरा नं०-७०२ रकवा ०.६०० है०

म॒ रुद्ध ल॑ल

(43)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 5454 / 2018 / सिंगरौली / भू-रा०

जिला सिंगरौली

बोधेराम प्रजापति / विश्वकांती बियार

(1)	(2)	(3)
18.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री लालप्रताप सिंह अधिवक्ता धारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल बरिगांव, तहसील देवसर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 144/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30.06.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.01.19 को कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">✓ सदस्य</p> 	

